

# राजस्थान सरकार

## निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

“ए” ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309 Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :-एफ4 (ई)(1)(6) / पदस्थापन/अलेसे-गा/ 0392

दिनांक :- 26/9/18

आदेश संख्या : 219 /2018-19

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अध्यर्थियों को एतदद्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए प्रत्येक नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतदद्वारा निर्वैशित किया जाता है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके समक्ष अकित विभाग/कार्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से सूचित करें।

| क्र.सं. | नाम (सर्वश्री)<br>पिता का नाम<br>रोल नं.-मेरिट क्रमांक / वर्ष  | जन्मतिथि/वर्ष | पदस्थापन कार्यालय   | अध्यर्थी का फोटो   |
|---------|--|---------------|---|--|
| (1)     | (2)  | (3)           | (4)   | (5)  |
| 1       | SAPNA VERMA<br>MAHENDRA KUMAR<br>551577 – 2826/2013            | 25-Aug-91     | JUDGE FAMILY COURT-<br>(32317), LAW<br>DEPARTMENT,<br>HANUMANGARGH        |   |
| 2       | KAMLESH KUMAR BAROT<br>GANPAT LAL BAROT<br>686935 - 3020/2013  | 01-Mar-85     | MEDICAL OFFICER CHC<br>(23522) MEDICAL AND<br>HEALTH, ABU ROAD,<br>SIROHI |   |
| 3       | NARENDRA PUROHIT<br>HARI SHANKAR PUROHIT<br>481581 - 3028/2013 | 01-Jul-79     | TREASURY OFFICER<br>(RURAL) (1116)<br>TREASURIES AND<br>ACCOUNTS, JODHPUR |  |

उपरोक्त अध्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जा रही है:-

- उक्त नियुक्ति प्रक्रिया समान प्रकृति के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जोधपुर द्वारा निस्तारित विशेष अपील याचिका संख्या 292/2018 राजस्थान सरकार व अन्य बनाम रेखाराम व अन्य, 1146/2017 राजस्थान सरकार व अन्य बनाम जितेन्द्र कुमार व अन्य, 635/2018 राजस्थान सरकार व अन्य सुरेन्द्र कुमार व अन्य, 784/2018 राजस्थान सरकार व अन्य बनाम पूजा भाटी व अन्य में पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर की जाने वाली/दायर की गई विशेष अनुमति याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/ रुल्स/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अध्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
- राज्य सरकार के परिपत्र पं. 13(1) वित्त/नियम 2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदाती पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदाती पेशन योजना लागू होगी। यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अध्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अध्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोष जनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
- कार्य ग्रहण करते समय अध्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र 50 रुपये के नौनज्यूडिशियल ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
- उपरोक्त अध्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के

- अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे-मेट्रिक्स लेवल-10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक घेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
7. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
  8. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्थीकार्य नहीं होगी।
  9. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वाविकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुतीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
  10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदर्भ नहीं होगा।
  11. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
  12. उक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1464-66/2017 कैटन गुरुविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एसबी सिविल याचिका सं. 13077/2018 श्री भरत कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अंतिम निर्णय के अध्यधीन दी जा रही है। उक्त नियुक्तियों उक्त पदों के संबंध में माननीय राज उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विद्याराधीन विभिन्न रिट याचिकाओं में होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। इसके अतिरिक्त उक्त पदों एवं इस परीक्षा के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं में पारित आदेश एवं अंतिम निर्णय के अध्यधीन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति/तथ्य के प्रकरणों में दिये जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
  13. उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

क्रमांक :-एफ4 (ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे-गा/ २३९

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

दिनांक :- 26/9/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (विधि) निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
6. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ..... को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्थीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री/ श्रीमती/ कुमारी/ सुश्री.....
9. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
10. उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
11. रक्षित / निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्तनिदेशक (कार्मिक-III)